बिहार मानवाधिकार आयोग (बी0एच0आर0सी0)

9, बेली रोड, पटना

संचिका संख्या– BHRC/Comp.– 2097/4/10/2021

Suo-Motu Cognizance

विषय : दरभंगा जिलान्तर्गत Upgraded Secondary Govt. School, Jale (West) परिसर में विद्युत स्पर्शाघात से एक छात्रा की मौत से संबंधित मामला।

23.03.2021

स्थानीय समाचार–पत्रों के दिनांक– 20 मार्च, 2021 के संस्करण में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है कि दरभंगा जिलान्तर्गत **Upgraded Secondary Govt. School, Jale (West),** परिसर में कक्षा–एक की एक आठ वर्षीया छात्रा, चंचला कुमारी, पुत्री–भरत झा, ग्राम–जाले**, दरभंगा की अपने कक्षा के iron gate को छूने पर** विद्युत स्पर्शाघात से दर्दनाक मृत्यु हो गयी तथा उसे बचाने में विद्युत स्पर्शाघात से मृतक छात्रा, चंचला कुमारी के छः अन्य सहपाठियों तथा विद्यालय की एक शिक्षिका, सुनीता कुमारी, घायल हो गयी।

उपरोक्त घटना एक सरकारी स्कूल के कक्षा गेट में विद्युत की नंगी तार से विद्युत प्रवाहित होने के कारण घटित होना बतायी जा रही है।

उपरोक्त घटना काफी गम्भीर प्रकृति का प्रतीत होता है तथा प्रथम दृष्टया मानवाधिकार अतिक्रमण का मामला प्रतीत होता है।

राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा **स्वप्रेरणा से प्रसंगाधीन मामले का संज्ञान लिया जा रहा है।**

इसे पंजीकृत करें।

समाचार–पत्रों में प्रकाशित प्रसंगाधीन मामले से संबंधित समाचारों की कटिंग की छाया–प्रति संलग्न कर **जिला पदाधिकरी, दरभंगा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा से** इस दुःखद घटना की लापरवाही की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर, दिनांक **26.04.2021** के पूर्व, प्रसंगाधीन धटना से संबंधित विस्तृत तथ्यात्मक प्रतिवेदन की मांग किया जाय साथ ही साथ मृतक बच्ची, चंचला कुमारी की पारिवारिक तथा आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में भी तत्काल प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु जिला पदाधिकारी, दरभंगा से अनुरोध किया जाय। **पत्र के साथ आज पारित आदेश की प्रति एवं समाचार–पत्र की कटिंग की छाया प्रति फैक्स/ई–मेल के माध्यम से भी तत्काल जिला पदाधिकारी, दरभंगा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को भेजी जाय।**

संचिका दिनांक 28.04.2021 को उपस्थापित की जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक